

आर.एस. विश्वकर्मा
आई.ए.एस.

सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

वेत्त विभाग
वेमानन विभाग
नोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग



कक्ष क्र.254, दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)
फोन : 0771-4080254, फैक्स : 0771-2221254
ई-मेल का पता : vkaramars@ias.nic.in
अर्ध शास. पत्र क्र. 94..... वि.वि.लो.स्वा.यां. 201
दिनांक 08-08-11

1421/IS
10-8-11

स्थायी निर्देश
स0 1/2011

प्रति,

प्रमुख अभियंता,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
नीर भवन, रायपुर ।

विषय :- संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने में तत्परता बरतने के निर्देश ।

—00—

अधीनस्थ कार्यालयों के निरीक्षण के दौरान मैंने पाया है कि प्रशासकीय स्वीकृति से अधिक के टेण्डर आने के बाद भी व कार्य के प्रस्ताव रखने के बाद भी कार्यपालन अभियंता द्वारा समय पर संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति की प्रस्ताव शासन को अथवा सक्षम अधिकारी को नहीं भेजे जा रहे हैं । लोक निर्माण नियमावली में यह स्पष्ट उल्लेख है कि प्रशासकीय स्वीकृति से 10 प्रतिशत से अधिक की राशि होने पर कार्य की इसे तत्काल प्रशासकीय संशोधित स्वीकृति प्राप्त होनी चाहिए । समय पर संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति जारी नहीं होने से कार्य में अनावश्यक विलंब होता है व कार्य लागत बढ़ती है ।

अतः निर्देश दिये जाते हैं कि 02 माह के भीतर ऐसे सभी मामले जिसमें संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति की आवश्यकता है उसे सक्षम अधिकारी से स्वीकृत करा लेवे तथा जिन कार्यपालन यंत्री द्वारा यह कार्यवाही नहीं की जा रही है व उदासीनता बरती जा रही है उसकी समीक्षा कर उनके विरुद्ध अनुशासत्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जाए ।

A.S./G.S./E.S./
A.S./C.E.(M)/E-in-C.
10/8/11

(आर0एस0विश्वकर्मा)

पृष्ठाकन क्रमांक 75 /स0लो0स्वा0यां0/2011
प्रतिलिपि :-

रायपुर दिनांक 06/08/2011

- 1/ मुख्य अभियंता, रायपुर, बिलासपुर
- 2/ मुख्य अभियंता, विद्युत/यांत्रिकी रायपुर
- 3/ समस्त अधीक्षण अभियंता, छत्तीसगढ़
की ओर सूचनार्थ ।

सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग